

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2023/482

मुकदमा नम्बर 189/2023

दायर दिनांक-07.12.2023

1. पृथ्वीराज पुत्र रामेश्वरलाल
2. भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल
3. पवन पुत्र रामेश्वरलाल
4. प्रभूदयाल उर्फ प्रभू पुत्र रामेश्वरलाल
5. राहूल सैनी पुत्र प्रदीप कुमार
6. विशाल सैनी पुत्र प्रदीप कुमार
7. ज्योति सैनी पुत्री प्रदीप कुमार
8. प्रियंका सैनी पुत्री प्रदीप कुमार
9. सरोज देवी पत्नी प्रदीप कुमार समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नं. 1 सेडूवाली ढाणी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

..... वादी

बनाम

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवलगढ़ संस्था जरिये प्रबन्धक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला राजकीय अस्पताल नवलगढ़ ,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

..... प्रतिवादी


## दावा - घोषणार्थ,दुरुस्ती रिकार्ड व विभाजन

प्रतिनिधत्व:-

वकील वादी- श्री पंकज कुमार जांगिड, श्री दयाराम सैनी

प्रतिवादी सं. 01- एक पक्षीय

प्रतिवादी सं. 02- पैरो.राज.


  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़ (झुझुनू)

—: निर्णय :—

**निर्णय दिनांक 11.03.2024**

वाद वादी दिनांक 28/12/2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./23/131 दिनांक 12/01/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील उभय पक्ष द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ़्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(जयसिंह)IAS  
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़  
(जिला-झुझुनू)

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ, जिला-झुझुनू  
श्री जयसिंह ( आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2023/482

मुकदमा नम्बर 189/2023


(पृथ्वीराज वगै0 बनाम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवलगढ जरिये मुख्य चिकित्साधिकारी  
जिला राजकीय अस्पताल नवलगढ वगै0)  
दावा - घोषणार्थ, रिकार्ड दुरुस्ती, विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जयसिंह ( आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ  
बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुददालय पेश होकर हुकम दिया जाता है  
व डिकी दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 28/12/2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिकी किया गया था  
तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान  
की मौजूदगी मे कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित  
किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./23/131 दिनांक  
12/01/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील उभय पक्ष द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त  
की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।  
सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव  
राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62  
के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन.....-..... मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-.....  
फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....-.....का अदा करे।  
बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 11 माह 03 सन 2023 को जारी की गई।

  
(जयसिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ  
(जिला-झुझुनू)

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प बजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिशनर	-	फीस कमिशनर	-
बाबत इजराय हुकमनामा	-	बाबत इजराय हुकमनामा	-
मुतफरिक मिजान	000	मुतफरिक मिजान	0.00